संख्या–1225/वि0प0–01प्रश्न/2022

प्रेषक,

राम सागर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त सदस्य,
विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद सचिवालय (प्रश्न अनुभाग) लखनऊ: दिनॉक: 01 अक्टूबर, 2022

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संसदीय अनुभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना **संख्या–1039/वि0प0–02सं0/2022, दिनॉक– 01 अक्टूबर, 2022** के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि "भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत **श्री राज्यपाल महोदया** द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 का **दिनॉक 30 सितम्बर, 2022** से सत्रावसान कर दिया गया है।

सत्रावसान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1956 के नियम–5 (क) के अधीन परिषद में स्थगित प्रश्न यथावत रहेंगे तथा नियम–5 (2) के प्राविधानानुसार :–

1– सत्रावसान की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि में नवीन सत्र पुनः आहूत हो जाने की स्थिति में विगत सत्र के प्रश्न यथावत रहेंगे तथा उसी क्रम में नवीन सत्र में पुनः निर्धारित किये जायेंगे ।

2– सत्रावसान की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि में नवीन सत्र आहूत न होने की स्थिति में आगामी सत्र के लिए नवीन प्रश्न सत्रावसान के 15 दिन उपरान्त ही परिषद सचिवालय में लिए जायेंगे। सभी पूर्व में स्वीकृत प्रश्नों के लिखित उत्तर सम्बन्धित विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्य को प्रेषित कर दिये जायेंगे तथा उनकी 5 प्रतिलिपियॉ विधान परिषद सचिवालय को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी, तदुपरान्त इन प्रश्नों को उत्तरित मान लिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन प्रश्नों को आगामी सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहें, उन्हें **दिनॉक 15 अक्टूबर, 2022** से देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम सागर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

.....2

संख्या– 1225 (1–10)/वि0प0–01प्रश्न/2022, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री के निजी सचिव को (मा0 मुख्य मंत्री/ उप मुख्य मंत्री के सूचनार्थ),
2. माननीय सभापति, विधान परिषद के निजी सचिव को,(मा0 सभापति महोदय के सूचनार्थ),
3. माननीय नेता सदन, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को (मा0 नेता सदन विधान परिषद के सूचनार्थ),
4. समस्त माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को (मा0 मंत्रियों के सूचनार्थ),
5. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को (प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ),
7. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
8. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य/विधायी अनुभाग,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य सचिवालय के समस्त अनुभाग,
10. उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,

आज्ञा से,

(राम सागर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।